

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख संख्या- 82/20-21(1)

दिनांक	आदेश संख्या	अभिलेख
03/09/2020	<p>साद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/सा, दिनांक-12.05.2018 पर-पत्रित- की अनुसूचि सुखजी, निदेशक, भू-अंजन-साह-विशेष अधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-साह/म/नि-119/85/2300/सा, दिनांक-03.09.1985 एवं साह-पत्रित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/सा, दिनांक-09.12.1988 में विहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजकूत खाल भूमि की कायम की गयी जमाबंदी की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि निम्नलिखित विवरणी की भूमि -</p> <p>बीजा- <u>साक्षीबाड़</u> खान नं- <u>49</u> खाल संख्या- <u>69</u> जॉच संख्या- <u>63</u> रकबा- <u>669</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजकूत खाल, अनासाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाल की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस बीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>151</u> पर जमाबंदी रैयत <u>गोवरुव महतो पिता जेठु महतो</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिबंधित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अपेक्ष बंदोबस्ती के आधार पर/अपेक्ष कोरकर बंदोबस्ती के आधार पर/अपेक्ष लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपरोक्त निजी स्वाम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अपेक्ष प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जॉच किया जाना बांधनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको उत्तर-पुछा करें कि क्या वे ही उक्त जमाबंदी को अपेक्ष मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुमति किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/09/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	
		<p align="right">03/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- जिन्दर मठनी
पिता जेठु मठनी
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>साधावाट</u>	<u>५७</u>	<u>६९</u>	<u>६९</u>	<u>६६९</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....१..... पृष्ठ सं०-.....१५१..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- १९६२-६३
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जैरसावाट रकता
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- अकर ५१७१
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - अकर ५१७१
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी १ से
अकर ५१७१
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-----------	------------------	------------------	------------

अं० ३१० / अं० ११७ / जोकिन्दपुर

महाशम, आवेदित भूमि संबंधित पंजी के अनुसार जैरसावाट रकते की छवि है। संबंधित पंजी में जमाबंदी सं० १५१ दर्ज है। प्राधिकार कौलम में अकर ५१७१ के शा ३२ (११) १९६२-६३ अंकित है। उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रकृत होता है।
 उक्त जमाबंदी रक / निष्प्रगतिकरण हेतु अग्रतर कार्यकारी

की जा मठनी
मठनी मठनी 